


<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p> <p>ओमप्रकाश दांतीवाडा बनाम लो.सू.अ.(अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर)</p> <p>सू.अ.अ. अपील संख्या 176/2022</p>	<p>नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>06-07-2022</p>	<p>अपीलार्थी ओमप्रकाश दांतीवाडा, निवासी अखिल भारतीय किसान सभा कार्यालय, गांधी टॉवर चौथी मंजिल, गांधी अस्तपताल के सामने, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 23.05.2022 में (1) न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(तृतीय) जोधपुर द्वारा दिनांक 27.04.2022 को निर्णित/फैसल की गई राजस्व अपील सं० 22/2021 अनवान ओमप्रकाश दांतीवाडा बनाम गिरधारीसिंह वगैरा उक्त अपील खातेदारी घोषणा हेतु की गई है या नामान्तरकरण खारिज बाबत दायर न्यायालय में प्रस्तुत की है? व अन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्रांक 248/22/706 दिनांक 30.05.22 सूचित किया गया, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी उपस्थित।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी ने अपील में जाहिर किया कि लोक सूचना अधिकारी अपर जिला कलक्टर शहर-प्रथम जोधपुर ने अपने कार्यालय के पत्रांक सू.अ.अ./प्रा.सं. 247/22/704 दिनांक 30.05.22 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही गई सूचना के आवेदन को यह अभिलिखित करते हुए खारिज कर दिया है कि सूचना का अधिकार अधि. 2005 की धारा 8(1)(ख) के अन्तर्गत दिया जाना अपेक्षित नहीं है यदि आप चाहे तो संबंधित न्यायालय में प्रतिलिपि/नकल के माध्यम से नियमानुसार आवेदन कर सूचना प्राप्त कर सकते है। अपील में आगे कहा कि मेरे द्वारा वहीं सूचना मांगी गई जिन दस्तावेजों को पत्रावली में सामिल मिसल किया गया एवं निर्णय में अभिलिखित किया है तथा उक्त दस्तावेजों का अध्ययन व परीक्षण कर निर्णय लिखा जाकर सुनाया गया अतः उक्त चाही गई सूचना सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत किसी धारा में प्रतिबंधित नहीं करती है तथा सूचना प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है, यह पूर्व से प्रकट है।</p> <p>रेस्पों.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 794 दिनांक 15.06.2022 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी ओमप्रकाश को इस कार्यालय के पत्र संख्या 706 दिनांक 30.05.2022 द्वारा सूचित किया जा चुका है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1) (ख) के अन्तर्गत दिया जाना संभव नहीं है, यदि प्रार्थी चाहे तो संबंधित न्यायालय में प्रतिलिपि/नकल के माध्यम से नियमानुसार आवेदन कर सूचना प्राप्त कर सकता है।</p> <p>चूंकि अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना से संबंधित न्यायालय की पत्रावली निर्णित हो चुकी है अब सार्वजनिक दस्तावेज के रूप में है तथा प्रार्थी स्वयं भी इस पत्रावली में पक्षकार भी है अतः इस स्टेज पर प्रार्थी को सूचना का अधिकार लगातार...</p>	



अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अधीन चाही गई सूचना देय है अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर शहर, प्रथम जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस में उपलब्ध करावे।